



# राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)



P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email-affiliationcuc@gmail.com

क्र. 10120/संबद्धता/2023

छिंदवाड़ा दिनांक 03/03/2023

प्रति,

प्राचार्य,

जयवंती हक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल

जिला बैतूल (म.प्र.)

विषय:- अस्थाई वार्षिक संबद्धता सत्र 2022-23 ।

संबद्धता हेतु आपके द्वारा प्रेषित आवेदन के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि सत्र 2022-23 के लिये आपके महाविद्यालय को निम्नांकित विषयों हेतु अस्थाई वार्षिक संबद्धता प्रदान की जाती है, यह संबद्धता आगामी समय में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्य अथवा निरस्त की जायेगी।

| विषय/शाखा  |
|--|
| B.A. – Foundation Course, Hindi, English, Political Science, Sanskrit, Sociology, Economics, History, Geography            |
| B.Com – Foundation Course, B.Com Plain, B.Com Computer Application, Tax  |
| B.Sc. - Foundation Course, Chemistry, botany, Zoology, Mathematics, Physics, Biotechnology, Microbiology, Computer Science |
| M.Sc. – Chemistry, Botany, Zoology, Physics, Mathematics, Biotechnology, Microbiology                                      |
| M.A. – Hindi, English, Sanskrit, Political Science, Economics, Sociology, History, Geography                               |
| M.Com, BCA, BBA  |

सामान्य शर्तें –

- शासन की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभिवचन पत्र के आधार पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
- अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम – 27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश क्रं. 6 एवं 7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन, विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- बिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- प्रयोगशाला, लाइब्रेरी तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना तीन माह में निर्मित एवं विकसित किया जो व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
- किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय  
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

छिंदवाड़ा दिनांक 03/03/2023

पृ. क्र. 10121/संबद्धता/2023

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर (म.प्र.)।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद (म.प्र.)।
- कुलपतिजी के निज सहायक के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सादर सूचनार्थ।
- उपकुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक/गोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- प्रभारी आई.टी. सेल को सूचनार्थ।

प्रभारी अकादमी

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय

03/03/23